

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 174]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 अप्रैल 2013—चैत्र 28, शक 1935

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्र. एफ 2-13/2012/61/लोसेpr/पी.एस.जी.-03.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध करवाइ जाने वाली सेवाएं, पदाधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं (1)	पदाधिकारी का पदनाम (3)	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा (4)	प्रथम अपील का पदनाम (5)	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा (6)	द्वितीय अपील पदनाम (7)
3.1	विभागीय हैण्डपंप के जमीन के ऊपरी भाग की साधारण खराबी का सुधार	उपर्यंत्री	7 कार्य दिवस	सहायक यंत्री	7 कार्य दिवस	कार्यपालन यंत्री

3.1 विभागीय हैण्डपंप के जमीन
के ऊपरी भाग की साधारण
खराबी का सुधार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.2	विभागीय हैण्डपंप के जमीन के निचले भाग में हैण्डपंप के लाइन असेम्बली व सिलेंडर की गंभीर खराबी का सुधार	उपर्यंत्री	15 कार्य दिवस	सहायक यंत्री	15 कार्य दिवस	कार्यपालन यंत्री
3.3	पानी पीने योग्य है या नहीं संबंधी जाँच कर रिपोर्ट देना	अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	15 कार्य दिवस	कार्यपालन यंत्री	10 कार्य दिवस	अधीक्षण यंत्री

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

इकबाल सिंह बैंस,
प्रमुख सचिव